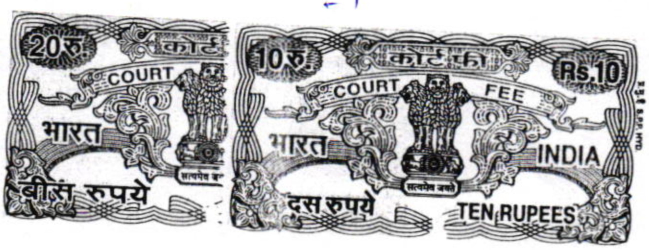

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निग. 3232-I-16

1. सरदारसिंह तनय मुन्नालाल
   निवासी ग्राम हरदुवा तह. खुरई जिला सागर
2. श्रीमति प्राची जैन पुत्री बाबूलाल जैन पत्नि अनूप जैन
   निवासी बिहारी वार्ड, खुरई तह. खुरई जिला सागर

..................निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्र 188 / बी–121 / 15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हरदुवा स्थित भूमि खसरा क्र 67 / 1 एंव 69 रकवा क्रमशः 0.94 एंव 1.34 हे. आवेदक क्र 1 को पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु आवेदक क्र 1 द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता क्र 1 जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता क्र 1 द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3232-I/16 जिला ....सागर............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.9.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 188/बी–121/वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र 1 की भूमि ग्राम मौजा हरदुआ तह. खुरई जिला सागर स्थित खसरा क्र 67/1 एंव 69 रकवा क्रमशः 0.94 एंव 1.34 हे भूमि आवेदक क्र 1 को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक क्र 1 के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से तहसीलदार खुरई को प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार खुरई द्वारा दिनांक 27/6/16 को अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से कलेक्टर सागर को प्रेषित किए जाने के उपरांत भी कलेक्टर सागर द्वारा आवेदक क्र 1 को प्रश्नाधीन भूमि आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक क्र 1 द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक क्र 1 भूमि को विक्रय कर व्यापार करना चाहता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें।	